

04/8/21

वकील प्रार्थी उपर प्रापत्र अंतर्गत धारा
136 LR Act स्वीकार हो गया है। अतः
प्रापत्र स्वीकार होने के कारण खारिज
क्रिया जाता है। पूर्व में जारी T.I.
खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
फहाड़ी (भरतपुर)